ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर

व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

कदमा नं0 48/19

1– मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज मण्डी बाजार कामां जरिये अहतमाम पुजारी व व्यवस्थापक बृजभूषण शर्मा पुत्र श्री गेंदाराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मण्डी बाजार कामां जिला भरतपुर राजस्थान

वादीगण

बनाम

– 1/1 चेतनस्वरूप 1/2 पप्पू 1/3 किशोर जाति माली निवासी कामां तहसील कामां

– पूरन पुत्र लालाराम (मृतक)

2– नवलकिशोर

3– भानुकुमार

4– तेजपाल

5– लच्छी उर्फ लक्ष्मीनारायण

6– कमल किशोर पुत्रान हरिकिशन जाति माली निवासी पांचों पाण्डव मौहल्ला मथुरा दरवाजा कामां जिला भरतपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 15.2.2021

पत्रावली माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय भरपतुर के निर्णय दिनांक 27.05.2019 के द्वारा इस कार्यालय को इस निर्देशानुसार प्राप्त हुई कि अपीलाण्ट की अपील आंशिक तौर पर स्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाकर उभयपक्ष के साक्ष्यों की विवेचना कर विस्तृत विवेचन कर तनकीबार निर्णय पारित किया जावे। निर्णय का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज विराजमान मण्डी बाजार कामां शाश्वत नाबालिग है जिसके हितों व हकूक की रक्षार्थ यह दावा उसके पुजारी व अहतमाम व व्यवस्थापक बृजभूषण शर्मा पुत्र श्री गेंदालाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कामां द्वारा ने पेश किया है कि वादी मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज विराजमान मण्डी बाजार कामां आराजी खसरा नम्बर 5665/0.49 वाके कस्बा कामां नं0 3 तहसील कामां का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर पूर्व से ही काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर मन्दिर मूर्ति का कब्जा व काश्त है । मन्दिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है इसलिए उसके हितों की रक्षार्थ मन्दिर मूर्ति की ओर पुजारी व अहतमाम द्वारा मन्दिर की आराजी की देखरेख व काश्त कराई जाती है व उसके आमदनी से मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज की भोग राज व्यवस्था व सेवा , पूजा के सामान का प्रबन्ध किया जाता है मन्दिर पर आने वाले साधु व दर्शनार्थी आदि के लिए साधु सेवा (भोजन व्यवस्था) आदि की जाती है। तथा मन्दिर मूर्ति की देखरेख व मरम्मत आदि कार्य की व्यवस्था भी आराजी मुतदाविया से होने वाली उसकी आमदनी से की जाती है। मन्दिर मूर्ति पर आमदनी का जरियान उक्त आराजी मुतदाविया है। अन्य कोई साधन आमदनी का नही है। प्रतिवादीगण का आराजी मुतदाविया से कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नहीं है, परन्तु प्रतिवादीगण के खेत मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज की आराजी मुतदाविया के पास है। इस कारण प्रतिवादीगण जबरन, लट्ठ व ताकत के बल पर मन्दिर मूर्ति की आराजी मुत0 पर जबरन नाजायज कब्जा करना चाहते हैं और मन्दिर को उसकी आराजी व उससे होने वाली आय से महरूम करना चाहता है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.8.2002 को ऐलानिया धमकी दी है कि हम आराजी मुतदाविया

Scanned with CamScanner

पर जबरन नजायज कब्जा करके रहेंगे व आराजी मुतदाविया में खड़ी हुई फसल को जबरन लट्ठ व ताकत के बल पर काट लेंगे। आराजीमुतदाविया से कोई फसल मन्दिर मूर्ति को नहीं लेने देंगें तथा पत्थर आदि डाल कर निर्माण कर लेंगे और उसे कृषि योग्य नही रहने देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो बादी मन्दिर मूर्ति को अजीम नुकसान होगा तथा मन्दिर मूर्ति की सेवा पूजा व भोगराज आदि की व्यवस्था नही हो पायेगी जिससे मन्दिर मूर्ति को सख्त हक तलफी होगी। आराजी मुतदाविया मन्दिर मूर्ति की आराजी है और उसके अधिकार धारा 46, 5(25) तथा 16(6) आर.टी. एक्ट के तहत अंकित है। मुताबिक काश्त मन्दिर मूर्ति की आराजी पर किसी दिगर व्यक्ति को कोई अधिकार पैदा नहीं होता है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 5665/0.49 वाके कस्बा कामां नं0 3 तहसील कामां पर जबरन कब्जा न करें व आराजी में होने वाली पैदा को लेने से वादी को न रोकें। तथा जबरन तरीके से आराजी मुतदाविया में पत्थर आदि डालकर उसमें कोई निर्माण आदि न करें। कृषि भूमि को अकृषि योग्य न बनायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जबावदेई हेतु प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आयें। प्रतिवादीगण ने अपना जबावमय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि वादी बृजभूषण शर्मा ने मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज मण्डी बाजार कामां की तरफ से पुजारी व व्यवस्थापक की हैसियत से उक्त वाद महज प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। बृजभूषण शर्मा उक्त मन्दिर का पुजारी व व्यवस्थापक नहीं है तथा आराजी मुतदाविया मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी की रही है न ही कभी मन्दिर की तरफ से काश्त की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 6 के पिता हरकिशन एवं मदन पिसरान लालाराम आराजी मुतदाविया के 1/3 हिस्से को सम्बत 2010 के पूर्व से ही व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता हरकिशन का स्वर्गवास हो चुका है उसका स्वर्गवास होने के पश्चात आराजी मुत0 के 1/3 हिस्से को उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 6 व0हि0बा0 काश्तकार रहें है और आज भी मौके पर प्रतिवादी मदन का अपने अपने हिस्सें की भूमि पर कब्जा व काश्त है। प्रतिवादीगण का आराजी मुत0 पर आर.टी. एक्ट के फोर्स में आने के पूर्व से ही निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी को उक्त आराजी मुत0 की बाबत खातेदारी अधिकारी हैसियत हो चुके है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में खिलाफ कानून व मौका कब्जा मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम गलत इन्द्राज दर्ज हो रहा है इसकी जानकारी प्रति0 को उक्त वाद से हुई। प्रति0 के राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर प्रति0 संख्या 1 को 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का व0हि0बा0 व शेष हिस्सा पर मदन पुत्र लालाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। आराजी मुत0 को मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज द्वारा काश्त नही किया गया न ही आराजी मुत0 से मन्दिर की सेवा पूजा भोगराज आदि की व्यवस्था की जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। बृजभूषण शर्मा मन्दिर श्री सीताराम जी का अहतमाम व व्यवस्थापक नही है। जिसे दावा लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादी खारीज फरमाया जाकर मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम इन्द्राज को कलमजन किया जाकर प्रति0 संख्या 1 को 1/3 हिस्से एवं प्रति0 संख्या 2 से 6 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा शेष हिस्सा 1/3 पर मदन पुत्र लालाराम का अंकन होगा।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव मय काउन्टर क्लेम का जबाव काउन्टर क्लेम वादी द्वारा इस आश्य का पेश किया है कि वादी बृजभूषण शर्मा ने मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षार्थ दावा पेश किया है। निजी हित के लिए नहीं किया है। मन्दिर मूर्ति की माफी देन जमीन पर कभी भी प्रतिवादी ने कोई काश्त नहीं की और ना ही मुताबिक कानूनन अगर मन्दिर की जमीन पर कोई काश्त करता है तो वह मन्दिर मूर्ति की ओर से काश्त मानी जाती है। आराजी मुत0 पर मन्दिर रिकार्डेड खातेदार के रूप में दर्ज है। सम्बत 2010 व उससे पहले से ही मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की माफी देन सरकारी जमीन है। मन्दिर मूर्ति का सदा से ही कब्जा रहा है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है व स्वयं काश्त करने में कानूनन सक्षम नहीं है। इस कारण मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की भूमि पर अगर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त की जाती है तो वह मन्दिर मूर्ति की ही काश्त मानी जावेगी। प्रतिवादी जिनमें से

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 5 लच्छी उर्फ लक्ष्मीनारायण स्वयं पटवारी है और राजस्व विभाग में रहे है। जिसका नाजायज फायदा उठा कर अन्य राजस्व कर्मचारियों से साज करके गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में हेर फेर कर कोई काश्त अपने नाम करा ली है तो व प्रभावहीन शून्य थी। जिसे कानूनन गलत पाये जाने पर तहसीलदार कामां द्वारा विधिवत रूप से रेफरेन्स राज्य सरकार की ओर से मन्दिर मूर्ति के हितों के वितरित राजस्व रिकॉर्ड में अंकन को मानते हुए रेफरेन्स पेश किये गये, जो स्वीकार हुए। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के बाद उक्त गलत अंकन को राजस्व रिकॉर्ड से हटाया गया। मन्दिर मूर्ति की आराजी पर मन्दिर मूर्ति की विधिवत रूप से रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया, जो आज तक बदस्तूर जारी है। रेफरेन्स के समय भी प्रतिवादी द्वारा अपनी काश्त होनी वाली बात का अभिवाचन किया, जिसका निस्तारण हो चुका है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग की माफी देन जमीन कानून द्वारा संरक्षित है। जिस पर किसी को कोई कानूनी अधिकार पैदा नही होते है। लिहाजा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी काबिले खारिज है। मन्दिर श्री सीताराम जी द्वारा अपनी माफी देन भूमि को सदा से ही काश्त किया जाता रहा है और उससे पैदा होने वाली आय से मन्दिर मूर्ति के भोगराज आदि की व्यवस्था होती रही है। मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है, जिसके हितो की रक्षार्थ कोई भी व्यक्ति वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र है। जबाव दावा काउन्टर क्लेम कतई गलत है। मन्दिर के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का इल्म प्रतिवादी को पूर्व से ही रेफरेन्स की कार्यवाही के समय से ही है। प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम में जो तथ्य काश्त के आधार पर उठाये गये है उन पर प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय रेफरेन्स की कार्यवाही में पारित हो चुका है। इस कारण प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम रेस ज्यूडी केस के सिद्धान्त के वांछित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने काउन्टर क्लेम मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग की माफी देन सरकार जमीन के संबंध में डिक्लेरेशन चाहने बाबत दिया है। जबकि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग की भूमि आर.टी. एक्ट के तहत संरक्षित है। जिस पर किसी भी व्यक्ति को कोई खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस कारण प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम कानूनी रूप से बाधित है और आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

वादी के दावा व प्रतिवादी के जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम व जबाव काउन्टर क्लेम वादी के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी सं0 1 आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुकम इम्तनाई दवामी से पावन्द करा पाने काश्त मुश्तहक है।

तनकी सं0 2 आया आराजी मुत0 पर प्रति0 स0 1, हि0 1/3 पर तथा प्रति सं0 2 से 6 हि0 1/3 पर तथा शेष 1/3 हिस्से पर मदनलाल खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

तनकी सं0 3 आया प्रतिवादीगण के विरूद्ध रेफरेन्स की कार्यवाही हुई है इस कारण उनका काउन्टर क्लेम रेसज्यूडीकेस से बाधित है।

तनकी सं0 4 आया आराजी मुत0 मन्दिर मूर्ति की माफी देन जमीन है जिस पर मुताबिक आर. टी. एक्ट शास्वत नाबालिग के हित संरक्षित है इस कारण काउन्टर क्लेम आदेश 7 नियम 11 तहत खारिज किये जाने योग्य है।

तनकी सं0 5 दादरसी

वादी द्वारा दस्तावेजी से साक्ष्य में Exp-1 नकल जामाबन्दी सम्वत 2055–2058 पीडब्ल्यू 1 श्री बृजभूषण शर्मा शपथ पत्र एवं बयान तथा प्रतिवादी की ओर से Exd-1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2018–2021, Exd-2 2032, Exd-3 2023–2026, Exd-4 2027–2030, Exd-5 2031–2034, Exd-6 2039–2041, Exd-7 2038 Exd-8 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 लगायत 2016 व प्रतिवादीगण द्वारा श्री पूरनलाल पुत्र लालाराम का शपथ पत्र एवं बयान डीडब्ल्यू 1,श्री उदयराम पुत्र दत्तकपुत्र श्री देवीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मथुरा दरवाजा कामां डीडब्ल्यू 2 श्री नत्थी पुत्र फोसिया जाति कोली निवासी मथुरा दरवाजा कामां डीडब्ल्यू 3 पेश किये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील पक्षकार की बहस सुनी गयी । वादी द्वारा अपनी बहस में बताया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2016 दावे का निर्णय किया गया था। लेकिन न्यायालय द्वारा तकबी बार नही किया गया था। माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 द्वारा तनकीबार निर्णय हेतु पत्रावली रिमाण्ड की गई है। आगे वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराया।

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के तथ्यों को दौहराया। वादी के वाद पत्र – प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम उभयपक्ष के द्वारा पेश साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं रिकार्ड के अवलोकन के बाद तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया है।

तनकी सं0 1

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड EXP-1 नकल जमाबन्दी सं0 2055–58 वाके कामां नं. 3 के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी खसरा नम्बर 5665/0.49 पर कालम सं0 4 में मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान साकिन देह खातेदार के अंकन है। इस प्रकार प्रस्तुत नकल जमाबन्दी में मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम खातेदारी अंकित है। वादी का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत है जब की खातेदारी की आराजी में अन्य कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे खातेदार आर0टी0एक्ट के 188 के तहत पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। नकल जमाबन्दी सं0 2018 से 2021 में उक्त आराजी ख0न0 5665 रकवा 3 वीघा पर कालम सं0 5 के आनुसार मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज व अहतमान 2 कुन्दनलाल पुत्र बृजबल्लभ कौम ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार के अंकन है। तथा काश्त पूरन व मदन व हरकिशन पिसरान लालाराम कौम माली साकिन देह व हिस्सा बराबर शिकमी के अंकन है। इन्द्राज नकल जमाबन्दी सं0 2039–2041 में है। प्रतिवादीगण के शिकमी के इन्द्राज है शिकमी के इन्द्राज के आधार पर किसी को भी खातेदारी नही दी जा सकती है तथा आर0टी0एक्ट के फोर्स में आने के साथ ही शिकमी के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश है। मन्दिर मूर्ति लगातार आराजी मुत0 पर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा नकल जमाबन्दी सं0 2055–58 में शिकमी के इन्द्राजात भी नहीं है उक्त जमाबन्दी अनुसार मन्दिर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मन्दिर मूर्ति नाबालिग है। मन्दिर की आराजी पर अन्य कोई काश्त करता भी है तो भी आराजी मन्दिर की ही मानी जावेगी। यदि मन्दिर के नाम दर्ज खातेदारों की आराजी पर व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे मन्दिर की आराजी को व्यवधान न किये जाने हेतु पाबन्द कराया जा सकता है मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज आराजी खसरा नम्बर 5665/0.49 पर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। दावा अन्तर्गत 188 आर0टी0एक्ट के तहत प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में व्यवधान उत्पन्न न किये जाने हेतु पाबन्द किया जा सकता है। अतः इस तनकी का निर्णय व हक वादी मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज के हक में किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी सं0 2

तनकी सं0 1 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जा चुका है प्रतिवादी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम दर्ज खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 5665/0.49 पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं है अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी सं0 3 व 4

उक्त तनकीयात कानूनी तनकी है। तनकी नं0 1 में आराजी मुत0 का विवेचन किया जा चुका है उक्त तनकी संख्या 3 व 4 का पृथक के विवेचन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तनकी संख्या 3 व 4 को तनकी संख्या 1 के अनुरूप ही निस्तारित किया जाता है।

दादरसी

तनकी सं0 1, 3 व 4 का निर्णय श्री सीताराम जी महाराज साकिन देह हक किया गया है। वादी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम दर्ज खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 5665/0.49 वाके कस्बा कामां नं0 में प्रतिवादीगण कोई व्यवधान उत्मन्न न करें। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी काबिले डिक्री के है।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

अतः आदेश है कि

दावा वादी डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी के नाम दर्ज खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 5665/0. 49 वाके कामां नं03 में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें, उसमें कोई निर्माण न करें । साथ ही यदि किसी भी पक्ष को विवादित आराजी में रख–रखाव में आपत्ति है तो मन्दिर मूर्ति की भूमि के लिए देवस्थान विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत सक्षम अधिकारी समक्ष प्रकरण पेश कर अनुतोष प्राप्त किया जावे ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)।०

Scanned with CamScanner